

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T(P).S No.- 06/1994

चरण चतोम्बा एवं अन्य।

बनाम

सुजीत चतोम्बा एवं अन्य।

आदेश

यह वाद दिनांक- 08.05.1994 को वादी चरण चतोम्बा, पिता- स्व० रेंगसो हो, निवासी ग्राम- खास जामदा, पो०- जामदा, थाना- गुवा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं 01 अन्य के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule “B” में वर्णित भूमि का Partition of the Properties के लिए प्रतिवादी सुजीत चतोम्बा, पिता- स्व० काली चरण चतोम्बा, निवासी ग्राम- खास जामदा, पो०- जामदा, थाना- गुवा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं 04 अन्य के विरुद्ध Kolhan Title (Partition) Suit दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 27.07.2017 से उभय पक्ष स्वयं या उनके अधिवक्ता के द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.04.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

10.04.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।